16/4/19 [illegible] ... [illegible]
१७ तक के [illegible] है
पढ़ाई जावे।

08/03/19 आज यह पत्रावली प्रार्थिया की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थिया ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया प्रकरण को चलाना नहीं चाहती। अतः पत्रावली को आज ही पेशी में लिया जाकर मौजूदा स्तर पर विड्रा किया जावे। प्रार्थिया की इच्छानुसार पर मूल वाद खारिज किया जा चुका है इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थिया की इच्छानुसार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02-06-2015 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर